मैं केस वादी को
नहीं चलाना चाहता
बयान

17 7/18 वादी अब आवेदन पत्र 340 (वादी ने आर्डरशीट
में अंकित किया कि वह अपने वाद को आगे
नहीं चलाना चाहता। इस लिये वाद खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसला अनुसार दाखिल
[illegible] से काम हो तत्पश्चात [illegible] दाखिल
दफ्तर हो। [illegible]